राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 8(1)गृह–3/2018 जयपुर, दिनांक :– 16/10/2018

परिपत्र

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने उनके परिपत्र क्रमांक टी.4350/01/2015 दिनांक 26.03.2018 द्वारा समस्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को "**नोरी**" (No Obligation to return to India) प्रमाणपत्र दिये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिशानिर्देश दिये है।

उक्त परिपत्र की पालना में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक द्वारा राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त आवेदन राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित किया जायेगा एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित थानाधिकारी से जांच कराकर अपनी अनुशंषा तीन दिवस में निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में राज्य सरकार को भिजवानी होगी। इस हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदक से संबंधित पुलिस थाने से यह रिपोर्ट प्राप्त की जानी है कि आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है तथा आवेदक की उपस्थिति किसी भी प्रकरण मे न्यायालय में वांछित नहीं है।

अतः समस्त जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि "**नोरी**" प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तीन दिवस में अनुशंषा निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह

–2–

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1–प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2–वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3–निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4–संयुक्त सचिव (सीपीवी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5–महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6–अतिरिक्त महानिदेशकपुलिस (इन्टेलीजेन्स),राजस्थान, जयपुर।
7–समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8–समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,राजस्थान।
9–रक्षित पत्रावली।

(भवानीशंकर)
शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner

प्रपत्र

अनुशंषा प्रमाण पत्र

जांच रिपोर्ट कें आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ----------

पत्नि/पुत्री/पुत्र श्री----------

----------निवासी----------

के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है तथा इनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय मे कोई प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है। इन्हें नोरी प्रमाण पत्र हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

जिला पुलिस अधीक्षक

Scanned by CamScanner